कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 10.06.2026

□गोवंश तस्करी पर कोतवाली चन्दौली पुलिस का बड़ा प्रहार

□थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा 03 मैजिक वाहनों से बिहार ले जाए जा रहे कुल-06 गोवंश को बरामद कर, 04 तस्करों को किया गिरफ्तार

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बिन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.06.2026 को थाना चन्दौली पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों, संदिग्ध व्यक्तियों तथा अवैध पशु तस्करी की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति गोवंशीय पशुओं को मैजिक वाहनों में लादकर बिहार राज्य की ओर वध हेतु ले जा रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा नवीन मण्डी के समीप मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर चेकिंग की गई। कुछ ही देर बाद एक के पीछे एक आ रहे तीन मैजिक वाहनों को रोककर तलाशी ली गई, जिनमें कुल 06 गोवंशीय पशु बरामद कर तस्करी में संलिप्त 04 गो-तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0-0299/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे गोवंशीय पशुओं को विभिन्न स्थानों से एकत्र कर बिहार राज्य में गोवध हेतु पहुंचाते थे, तथा इसके एवज उन्हे प्रति चक्कर का 5000 रुपए मिलता था।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0-299/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, थाना एवं जनपद चन्दौली।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.सर्वजीत मौर्या पुत्र किशोरी लाल मौर्या निवासी शिवपुर, थाना बबुरी, जनपद चन्दौली, उम्र लगभग 30 वर्ष।

2.संजय सिंह पुत्र काली प्रसाद सिंह निवासी फेसुड़ा, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली, उम्र लगभग 42 वर्ष।

3.प्रिन्स गुप्ता पुत्र रामचन्द्र गुप्ता निवासी नेवढ़िया बाजार, थाना नेवढ़िया, जनपद जौनपुर, उम्र लगभग 30 वर्ष।

4.राम उजागर सिंह पुत्र सत्य नारायण सिंह निवासी हथेरा, थाना नेवढ़िया, जनपद जौनपुर, उम्र लगभग 55 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

* 03 मैजिक वाहन UP50CT9188, UP67AT0712 व UP65MT5084

* 06 राशि गोवंश

□थाना मुगलसराय व स्वॉट/सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान कार में परिवहन किया जा रहा कुल-31.2 किलोग्राम अवैध गांजा को बरामद कर, तस्करी में संलिप्त 01 शातिर तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

□बरामद अवैध गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में दिनांक 10.06.2026 को थाना मुगलसराय व स्वॉट/सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा चकिया तिराहा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध Hyundai Santro कार संख्या OR02 AK 8591 को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को देखकर वाहन चालक भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान नाम अतहर फारुकी पुत्र सुल्तान फारुकी निवासी बरेज पोस्ट बेलौड़ी थाना मोहनिया जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार के रुप में हुई। पकड़े गए वाहन की तलाशी लेने पर वाहन से कुल 17 पैकेटों में 31 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0-286/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह बिहार से अवैध गांजा लाकर वाराणसी तथा आसपास के जनपदों में सप्लाई करता था तथा बिक्री कर आर्थिक लाभ अर्जित करता था। बरामद गांजा भी बिक्री हेतु ले जाया जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अतहर फारुकी पुत्र सुल्तान फारुकी निवासी बरेज पोस्ट बेलौड़ी थाना मोहनिया जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार, उम्र लगभग 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0-286/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

31 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

•तस्करी में प्रयुक्त Hyundai Santro कार संख्या OR02 AK 8591।